अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन,शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक – 2118 – म.प्र.वि.नि.आ. – 04, संसद द्वारा अधिनियमित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (यछ, य झ) के साथ पठित धारा 62 (2) और 64 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों के लिये टैरिफ के अवधारण के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिए जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.1 ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिया जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 कहलाएंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषा

1.4 जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, इन विनियमों में शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003), मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) और मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में यथा परिभाषित हैं ।

1.5 अनुज्ञप्तिधारी के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य में समझे गये अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित हैं।

टैरिफ अवधारण के लिये आवेदन

1.6 प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष 15 नवम्बर तक आयोग को सामान्य प्रभारों सहित अपने चालू अनुमोदित टैरिफ के अधीन तथा बनाई गई धारणाओं की विस्तृत व्याख्याओं के साथ प्रभारों तथा टैरिफ से आशायित राजस्व और आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित सामान्य प्रभारों सहित टैरिफ तथा प्रभार से प्रत्याशित राजस्व को समाविष्ट करते हुए टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करेगा । व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी यदि आवश्यक हो तो, आयोग के लिखित आदेश के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करेगा । उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी निम्नानुसार है :–

(क) उपाबंध 1 में उपबंधित उत्पादन कम्पनी के आरूप

(ख) उपाबंध 2 में उपबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आरूप

(ग) उपाबंध 3 में उपबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आरूप

(घ) उपाबंध 4 में उपबंधित व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी के आरूप

परन्तु यह कि उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में इसे विनियमों का उल्लंघन माना जायेगा तथा आयोग अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा ।

1.7 उत्पादन कंपनी व अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त खण्ड 1.6 में वर्णित आरूपों के साथ आयोग द्वारा पूर्व टैरिफ आदेश में दिये गये दिशा–निर्देशों के पालन पर एक वक्तव्य प्रस्तुत करेगें ।

1.8 टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पूर्व वर्ष, चालू वर्ष व आगामी वर्ष के लिये जानकारी संलग्न होनी है । पूर्व वर्ष की जानकारी लेखापरिक्षित लेखों पर आधारित होनी चाहिए एवं लेखापरिक्षित लेखों की अनुपस्थिति में, पूर्व वर्ष से पिछले वर्ष के लेखापरिक्षित लेखों को पूर्व वर्ष के अलेखा परिक्षित लेखों के साथ प्रस्तुत करना चाहिये ।

1.9 प्रत्येक नवीन अनुज्ञप्तिधारी लायसेन्स की स्वीकृति मिलने पर तुरन्त आयोग के समक्ष खण्ड 1.6 में दिये गये विवरणों सहित एक टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करेगा । प्रत्येक नवीन उत्पादन कम्पनी वाणिज्यिक संचालन के प्रारंभ होने से कम से कम दो माह पूर्व आयोग के समक्ष एक टैरिफ आवेदन करेगा ।

1.10 सम्यक रूप से भरे गये आरूप और व्याख्याओं के साथ प्रस्तुत किया गया आवेदन याचिका के रूप में माना जाएगा । याचिका मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमों में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार तथा सभी प्रकार से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाएगी ।

1.11 टैरिफ की अवधारणा अथवा पूर्व में निर्धारित टैरिफ को ही निरंतर लागू रखने हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ क्रमांक 1 से 4 के लिये पूर्व वर्ष के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित टैरिफ आवेदन फीस संलग्न की जायेगी :–

1.	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका ।	अति उच्च दाब पारेषण पद्धति में प्रेषित ऊर्जा की प्रति मिलियन यूनिट हेतु 100 रू.
2.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका ।	अति उच्च दाब पारेषण पद्धति में प्रेषित ऊर्जा में से अति उच्च दाब पारेषण पद्धति में हानि को घटाकर शेष ऊर्जा की प्रति मिलियन यूनिट हेतु 300 रू.
3.	उत्पादन कम्पनी द्वारा उत्पादन टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका	उत्पादन कम्पनी द्वारा उत्पादित प्रति मिलियन यूनिट हेतु 600 रू.
4.	अविभाज्य यूटिलिटी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका	अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण व वितरण पद्धति में प्रेषित ऊर्जा की प्रतिमिलियन यूनिट हेतु 700 रू.
5.	ग्रामीण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका	1000 रू.
6.	परिवर्तनशील लागत समायोजन (वी.सी.ए.) प्रभार	उत्पादित यूनिटों से प्राप्त राजस्व में अंतर का 0.03 प्रतिशत

1.12 समस्त फाइल किए गए आवेदन विनियमों में निर्धारित अनुबंधों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप होना चाहिये । आवेदन की विभिन्न प्रतियाँ समस्त उत्पादन कम्पनियों, अनुज्ञप्तिधारियों और राज्य सरकार को भेजी जाएगी ।

1.13 पारेषण और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वोल्टेज अनुसार तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का विस्तृत विवरण सम्मिलित किया जायेगा । वोल्टेज अनुसार हानियों को उस वोल्टेज पर ली गई ऊर्जा के तद्नुसार वितरित की जायेंगी । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हानियों (नुकसान) को कम करने की योजना के साथ उसे कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित विनिधान का विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । ऐसी समस्त योजनाएँ आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से वर्ष वार तथा इन योजनाओं को निष्पादित करने के लिये अपेक्षित निधि के स्त्रोतों को दर्शित करते हुए कम से कम चार पश्चातवर्ती वर्ष को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

1.14 यदि सामान्य प्रभारों सहित चालू लागू टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपेक्षित राजस्व के बीच राजस्व अंतर होता है तो उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी इस राजस्व अंतर को निपटाने हेतु प्रस्ताव/योजना प्रस्तुत करेगा ।

1.15 सुदृढ़ प्रतियों (हार्ड कॉपीज) के अतिरिक्त, जानकारी ऐसे इलेक्ट्रानिक प्ररूप में प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि आयोग अपेक्षित करे ।

1.16 उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा है कि वे आयोग को वांछित जानकारी तथा आवश्यक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, देने के लिये आयोग से संसूचना उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी कार्यकारी ग्रुप (समूह) गठित करे तथा उससे संबंधित ब्यौरे आयोग को सूचित करे ।

1.17 आयोग आवेदन में अपर्याप्तता पर स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, मांग सकेगा तथा उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुपर्णित दिनांक के अंदर स्पष्टीकरण देगा ।

1.18 किसी विलम्ब/टैरिफ आवेदन व जानकारी के प्रस्तुत न होने (जैसा कि खण्ड 1.6,1.13, 1.14 तथा 1.16 में कथित है) पर, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) के समुचित उपबंधों के अनुसार आयोग शास्ति/जुर्माना आरोपित कर सकेगा ।

टैरिफ आवेदन का प्रकाशन

1.19 आयोग को स्पष्टीकरण दे देने के पश्चात् उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी, आयोग से यथा अनुमोदित प्रस्तावों का संक्षिप्त सार, आवेदन की मुख्य बातें जो विभिन्न स्टेक होल्डर के हित में हों, कम से कम दो स्थानीय समाचार–पत्रों, एक हिन्दी तथा एक अंग्रेजी में, जिसका प्रचलन अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी के प्रदाय क्षेत्र में परिचालित हो, में प्रकाशित करेगा ।

1.20 उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी उपाबन्ध (खण्ड 1.6 के अनुसार) में यथा उपबंधित उत्पादन कम्पनियां, अनुज्ञप्तिधारियों को लागू संबंधित आरूप में सार या 'एस', वित्तीय या 'एफ', निष्पादन या 'पी' टैरिफ या 'टी' श्रेणी प्ररूप के आधार पर तैयार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में आवेदन तथा विवरण को मुद्रित कराने की भी व्यवस्था करेगी । आवेदन 'एस' तथा 'टी' श्रेणी (सीरीज) प्ररूप जिल्द 1 प्ररूप में होगा तथा 'एफ' तथा 'पी' सीरीज मुद्रित किए दस्तावेज के जिल्द 2 में होगा । दोनों जिल्द (वाल्यूम) पृथक–पृथक कीमतों में होंगे ।

1.21 टैरिफ आवेदन के दोनों जिल्द (वाल्यूम) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में तथा समस्त वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध होंगे और पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की दशा में वृत्त कार्यालयों से उच्च कार्यालयों तथा उत्पादन कम्पनी या व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के लिये जिन्द ऐसे कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे जिसे आयोग द्वारा निदेशित किया जाए । उपभोक्ता को डाक द्वारा दस्तावेजों के उपापन की सुविधा भी उपलब्ध होगी यदि समुचित अभिधान का डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ अनुरोध किया हो । सभी स्टेक होल्डर्स की सुलभ पहुंच के लिये दस्तावेज, डाउन लोडेबल आरूप में अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट पर उपलब्ध होगा ।

1.22 टैरिफ से सीधे प्रभावित होने वाले पक्षकार से भिन्न पक्षकारों से याचिका का आवेदन आयोग के विवेक पर होगा ।

सुनवाई

1.23 जब तक कि आयोग द्वारा विशेष कारणों से अन्यथा निर्देश न दिया जाए, आयोग अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये गये राजस्व गणनाओं और टैरिफ प्रस्तावों पर कार्यवाहियाँ जारी रखेगा तथा ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई कर सकेगा

जैसा कि आयोग ऐसे टैरिफ प्रस्तावों पर निर्णय करने से पहले समुचित समझता हो ।

1.24 उपरोक्त खण्ड 1.17 में यथा वर्णित प्रस्तावों का सारांश प्रकाशित करने का निर्देश उत्पादन कंपनी व अनुज्ञप्तिधारी को देते हुए उनके टैरिफ आवेदन पर सुनवाई के लिये प्रक्रिया ऐसी रीति में होगी जैसी कि आयोग विनिर्दिष्ट करे ।

आयोग का आदेश

1.25 आवेदन (जैसा कि खण्ड 1.16 में कथित है ।) की प्राप्ति की दिनांक से एक सौ बीस दिन के अंदर तथा जनता से प्राप्त समस्त सुझावों तथा आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् आयोग, –

(क) ऐसे उपान्तरणों या ऐसी शर्तों के साथ जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी करेगा, या

(ख) आवेदन लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यदि ऐसा आवेदन विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003), तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार न हो तो रद्द करेगा :

परन्तु यह कि आवेदक को उसके आवेदन को रद्द करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

1.26 उपरोक्त खण्ड 1.6 में निर्दिष्ट विवरण अनुज्ञप्तिधारी के पृथक् कारोबार के प्रत्येक के लिये तथा उत्पादन कम्पनी के पृथक कारबार के प्रत्येक के लिये पृथक–पृथक रूप से दिया जाएगा । विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) के अधीन उन अनुज्ञप्त से भिन्न अनुज्ञप्त किसी कारोबार या सेवाओं को करने वाले अनुज्ञप्तिधारी की दशा में अनुज्ञप्तिधारी पृथक् राजस्व विवरण, व्यय विवरण, तुलन–पत्र तथा नकदी प्रवाह विवरण के साथ ऐसे ब्यौरे जैसा कि आयोग ऐसा कारोबार या सेवा के संबंध में अपेक्षा करे, देगा ।

1.27 आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003), मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001), मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम तथा कोई अन्य विद्यमान नीतियां या विनियम के उपबंधों तथा उद्देश्यों के अनुसार, टैरिफ का अवधारण करेगा ।

1.28 आयोग आदेश करने की दिनांक से सात दिन के अंदर राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी तथा संबंधित उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश की एक प्रति भेजेगा ।

टैरिफ आदेश का प्रकाशन तथा उसका लागू होना

1.29 टैरिफ अवधारणा के सभी आदेशों में यह अंकित रहेगा कि वे किस अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे एवं अवधि के अंकित न होने की दशा में, वे सभी आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रभावशील रहेंगे जिस वित्तीय वर्ष में टैरिफ की अवधारणा की गई हो । परन्तु यह कि टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट अथवा वित्तीय वर्ष के अंत से परे समयावधि हेतु पूर्व निर्धारित टैरिफ को निरंतर लागू करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा अनंतिम रूप से आवेदन प्रस्तुत करने पर आयोग अनंतिम रूप से सहमत हो सकता है यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि टैरिफ को निरंतर लागू करने के लिये दिये गये आधार उचित हैं ।

1.30 उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी कम से कम दो दैनिक समाचार–पत्रों जिनमें एक हिन्दी तथा एक अंग्रेजी जिसका परिचालन प्रदाय क्षेत्र में हो, प्रकाशित करेगा तथा जनता को उनके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय के लिये टैरिफ अनुसूची उपलब्ध कराएगा । ऐसा टैरिफ ऐसे प्रकाशन की दिनांक से सात दिनों के पश्चात ही प्रभावी होगा तथा बिल तद्नुसार जारी किए जाएंगे ।

1.31 यदि कोई उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ से अधिक मूल्य या प्रभार वसूल करता है तो वह व्यक्ति जिसने ऐसा अधिक मूल्य या प्रभार दिया है वह अधिक रकम बैंक रेट पर ब्याज सहित वापस वसूली योग्य होगी, अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपगत दायित्व से अलग होगी, वह दायित्व बना रहेगा । आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न किसी टैरिफ का क्रियान्वयन आयोग में आदेशों तथा निर्देशों के अननुपालन के रूप में माना जाएगा ।

टैरिफ आदेश का पुनर्विलोकन

1.32 टैरिफ के पुनर्विलोकन के लिए समस्त आवेदन विहित फीस के साथ याचिका के प्ररूप में होगा । टैरिफ के पुनर्विलोकन के लिये याचिका निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयोग द्वारा ग्राह्य की जा सकेगी :–

(क) पुनर्विलोकन याचिका टैरिफ आदेश की दिनांक से साठ दिवसों के अंदर प्रस्तुत की जाती हैं, तथा

(ख) यह सिद्ध हो जाता है कि अभिलेख से प्रकट कोई त्रुटि है ।

1.33 आयोग अपने आप संतुष्ट होने पर कि किसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ का पुनर्विलोकन करना आवश्यक है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम में उपवर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ के पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आरम्भ करेगा ।

टैरिफ में संशोधन

1.34 यथा उपरोक्त अवधारित तथा अधिसूचित टैरिफ किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार बार संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाए इसके कि टैरिफ आदेश या आयोग द्वारा किसी अन्य आदेश में समाहित परिवर्तनीय ईंधन अधिभार सूत्र के निबंधनों के अधीन किन्हीं परिवर्तनों के बारे में स्पष्टतः अनुज्ञात किया जाए ।

1.35 परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की समुचित धाराओं के निबंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सहायकी (सबसिडी) के कार्यान्वयन के परिणामिक स्वरूप आयोग द्वारा दिये गये आदेश, अधिसूचित टैरिफ का संशोधन के रूप में सनिर्मित नहीं होगा तथापि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी रीति में जैसी कि आयोग निदेशित करे उपभोक्ताओं को जारी बिलों में/सबसिडी रकम का समुचित समायोजन दे सकेगा ।

जानकारी का उपयोग

1.36 आयोग को यह अधिकार होगा कि उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी, उसकी उत्तरवर्ती इकाईयाँ तथा विद्युत संस्था जिसे वह उचित समझे, द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रकाशन करना सम्मिलित करते हुए उसका उपयोग करे या आयोग की वेबसाईट पर रखने और/या उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश करे कि उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी वेबसाईट पर जानकारी को प्रदर्शित करे ।

बहु–वर्षीय टैरिफ के सिद्धान्त और दिशा–निर्देश

1.37 आयोग जिसमें सामान्य प्रभारों सहित टैरिफ और प्रभार से आशाचित राजस्व, निर्धारित प्रक्रियात्मक दक्षता स्तर हेतु अनुज्ञेय कीमत, टैरिफ और प्रभारों का पुनरीक्षण टैरिफ संरचना में परिवर्तन और ऐसे अन्य मामले सम्मिलित होंगे जैसे कि आवश्यक समझे जाएं, सुनिश्चित करते हुए टैरिफ अवधारणा से संबंधित सभी मामलों में, बहु–वर्षीय टैरिफ सिद्धान्त लागू कर सकेगा ।

1.38 आयोग, समय समय पर बहु–वर्षीय टैरिफ हेतु राजस्व की गणना के विवरणों को भरने और टैरिफ आवेदनों हेतु दिशा–निर्देश जारी करेगा और जब तक आयोग द्वारा अधित्याग न कर दिया जाए, अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा जारी ऐसे दिशा निर्देशों का पालन करेगा ।

संशोधन करने की शक्ति

1.39 आयोग इन विनियमों के किसी भी उपबंधों को किसी भी समय जोड़ सकेगा, फेर–बदल कर सकेगा, उलट, उपांतरित, या संशोधित कर सकेगा ।

निरसन एवं व्यावृति

1.40 म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम 2002 जो क्रमांक 592/एमपीईआरसी/2002 दिनांक 14 फरवरी 2002 द्वारा अधिसूचित किया गया था, के विषय अनुक्रमांक 3, 4, 6, 9(1) एवं 10 एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

1.41 म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम 2002 का द्वितीय संशोधन जो क्रमांक 2335/एम.पी.ई.आर.सी./ दिनांक 10 अप्रेल 2003 द्वारा अधिसूचित किय गया था, केक विषय अनुक्रमांक 1(ए), 1(बी), 5(ए), 5(बी), एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

1.42 इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों की सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

1.43 इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) के उपबंधों के अनुरूप किसी प्रक्रिया को लागू करने से आयोग को बाधित नहीं करेगी जो इन विनियमों के किसी उपबंध में फेर–बदल करती है जो यद्यपि

विशेष परिस्थिति की दृष्टि से या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी ऐसे मामले या मामले के वर्ग के संव्यवहार के लिए आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

1.44 इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) के अधीन किसी विषय से संबंधित या किसी शक्ति का प्रयोग करने से जिसके लिए कोई विनियम निर्मित नहीं किए गए हैं, बाधित नहीं करेगी तथा आयोग ऐसे विषय, शक्ति तथा कृत्य का ऐसी रीति में जैसी वह उचित समझे, कार्रवाई करेगा ।

टीप :– इस टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिया जाने वाला विवरण, विनियम, 2004 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।